किस्म मुकदमा .... नं. .... सन् ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/12/2018	पत्रावली आज पेश हुई वकुलाय उप०। सरकारी पेशकार उप०। वादी अधिवक्ता ने बहस के दौरान बताया कि ग्राम रेलमगरा के ख.न. $\frac{1319}{1701}$, $\frac{1319}{1689}$, $\frac{1319}{1690}$, $\frac{1319}{1680}$, राजस्व नक्शे में तरमीम गलत है मौके अनुसार नही है विवादित भूमि की तरमीम बिना किसी उच्च अधिकारी के आदेश के तत्कालिन पटवारी द्वारा अवैध एवम् विधि विरुद्ध की गई है। ख.न. $\frac{1319}{1689}$ व $\frac{1319}{1690}$, प्रतिवादी प्र.2 के पिता तत्कालिन पटवारी ने अपने पुत्र को फायदा पहुँचाने हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग पर की है जहाँ वादी का कब्जा है। जिससे विवादित भूमि की राजस्व नक्शे में तरमीम निरस्त किया जावे। एवम् नये सीरे से मौके पर कब्जा अनुसार की जावे वादी का वाद स्वीकार किया जावे। प्रतिवादी अधिवक्ता ने इस पर जोर विरोध किया एवम् बताया कि प्रतिवादीगण की विवादित भूमि मौके पर कब्जा अनुसार सही है। उक्त	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	तरमीम आंवटन के अनुसार की गई है एवम् आवंटी ने प्रतिवादीगण को कब्जा नही सुपुर्द किया है जिस कारण विवादित भूमी की तरमीम सही एवम् मौके पर कब्जे अनुसार है वादी का वाद काबिल खारीज है वादी का वाद खारीज कर खर्चा प्रतिवादीगण को दिलाया जावे । सरकारी परोकार ने बहस के दौरान बताया कि ख.न. $\frac{1319}{1689}$, $\frac{1319}{1690}$, $\frac{1319}{1701}$ की राजस्व नक्शे में तरमीम कब्जा एव मौके अनुसार सही नही है। वादी प्रतिवादीगण का तरमीम अनुसार मौके पर कब्जा नही है। जिससे विवादित भूमी की तरमीम कब्जे एव आंवटन अनुसार संशोधन करने का आदेश प्रदान करावे । हमने पत्रावली में मौजूद तथ्यों एवम् उभय पक्षों के तर्को का अवलोकन एवम् मनन किया। जिससे ग्राम रेलमगरा के ख.न. $\frac{1319}{1689}$, $\frac{1319}{1690}$, $\frac{1319}{1701}$ की राजस्व नक्शे में तरमीम मौके पर कब्जा अनुसार सही नही होना प्रतित होता है ख.न. $\frac{1319}{1680}$ की तरमीम मौके एवम् कब्जा अनुसार सही होना प्रतित होता है अतः तहसीलदार रायपुर को पत्रावली रिमांड करते हुए निर्देशित किया जाता है कि ग्राम रेलमगरा के ख.न. $\frac{1319}{1689}$, $\frac{1319}{1690}$, $\frac{1319}{1701}$ राजस्व नक्शे में वर्तमान	

बनाम

किस्म मुकदमा .... नं. .... सन् ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	तरमीम को निरस्त करते हुए आवंटन आदेश अनुसार मौके पर कब्जे अनुसार एवम् अन्य तथ्यों को ध्यान में ~~रखते~~ रखते हुए। नये सीरे से संशोधित तरमीम की जावे। ख.नं. 1319/1680 की तरमीम को यथावत् रखते विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा० मि० हो। पालनार्थ प्रति तहसीलदार रायपुर को भेजी जावे पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी रायपुर (पाली)	

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2020.03.04 15:23:08 IST
Reason: SelfAttested
Location: